यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ना-पत्र संख्या :—58 / 2023 | दायर दिनांकः 13.3.2023
MS NO:- 2023/105 | पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

मुमताज बानो पत्नी मुश्ताक अहमद जाति मुसलमान नि0 नैनवॉ

प्रार्थीया

बनाम

भूमिधारी राजस्थान सरकार, जर्ये श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः—

प्रार्थीया की ओर से अभिभाषक श्री दीपक कुमार गुर्जर।

निर्णय दिनांक 16.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम टोपां प0म0 कोरमा मे जमाबन्दी संवत् 2076—2079 के वर्तमान खाता संख्या 76 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 501 / 295 रकबा 1.6180 हैक्टयर स्थित है जिसकी खातेदार आसामी प्रार्थीया है जो इसी हैसियत से काबिज काश्त चली आ रही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के समीप अन्य खातेदारो की कृषि भूमियां स्थित है जो प्रार्थीया के उक्त वर्णित खाते की भूमि की सीमा के संबंध मे प्रार्थीया से विवाद करते रहते है, प्रार्थीया कमजोर है। प्रार्थीया ने सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ को सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया था लेकिन अभी उक्त पालना नही की गयी। विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, पूर्व मे दो बार सीमाज्ञान के लिए तहसील कार्यालय से हुए आदेश की प्रति आदि पेश कर धारा 111 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गयी। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 501 / 295 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि का पत्थगढी करवाये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 जो बावजूद सूचना के ना तो उपस्थित हुआ और ना ही अपना जवाब / रिपोर्ट पेश की। साथ ही पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का पूर्व मे कई बार तहसील कार्यालय नैनवॉ से सीमाज्ञान बाबत् आदेश जारी किये जा चुके है लेकिन प्रार्थीया की भूमि का सीमाज्ञान नही किया गया। चुंकि प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान का आवेदन भी किया जा चुका है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम टोपां प0म0 कोरमा मे जमाबन्दी संवत् 2076—2079 के वर्तमान खाता संख्या 76 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 501 / 295 रकबा 1.6180 हैक्टयर पर यदि प्रार्थीया का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा होने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ